



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक-18.09.2022

थाना शिवपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 नफ़र वांछित शातिर लुटेरे विशाल सिंह उर्फ राहुल व अंकित राय गिरफ्तार, कब्जे से लूट की घटना मे प्रयुक्त बाइक, 5000/- रु0 नगद व 02 अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व लूट/चोरी की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैन्ट के पर्यवेक्षण मे थाना शिवपुर व क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर मु0अ0सं0-0381/2022 धारा 392/411 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 01.विशाल सिंह उर्फ राहुल पुत्र सन्तोष सिंह नि0 ग्राम महावन थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी 02.अंकित राय पुत्र अशोक राय निवासी रामपुर अगरसण्ड थाना अदलहाट मीरजापुर को अग्रसेन पीजी कालेज के पास से आज दिनांक-18.09.2022 को समय करीब 01.00 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल एफ जेड रंग लाल, 02 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व कुल 5000/- रुपया नगद बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-0394/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0-0395/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण-

दिनांक-08.09.2022 को वादी मुकदमा श्री जितेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 सोभनाथ पटेल निवासी सुद्धीपुर शिवपुर वाराणसी ने बाइक सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा असलहा सटाकर ग्रा0 महेशपुर जाते समय वादी से 18500/- रु0, मोबाइल तथा बाइक की चाभी लूट कर भाग जाने एवं हवाई फायर करने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना शिवपुर मे मु0अ0सं0-0381/2022 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 01.विशाल सिंह उर्फ राहुल पुत्र सन्तोष सिंह नि0 ग्राम महावन थाना राजा तालाब जनपद वाराणसी उम्र 25 वर्ष
- 02.अंकित राय पुत्र अशोक राय निवासी रामपुर अगरसण्ड थाना अदलहाट मीरजापुर उम्र 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोटर साईकिल एफ जेड रंग लाल UP32 GP4834, 02 अदद नाजायज देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस व कुल 5000/- रुपया नगद बरामद ।

विवरण पूछताछ-

पूछताछ करने पर अभियुक्त विशाल सिंह व अंकित राय ने बताया की हम दोनों तथा हमारे अन्य दो साथियों ने मिलकर एक सप्ताह पहले अग्रसेन पीजी कालेज के बगल स्थित बड़े ग्राउण्ड के पास एक लूट की घटना को अंजाम दिये थे। हमलोग बसहीं चौराहा से ही अलग-अलग गाड़ियों से बाइक सवार दो आदमियों का पीछा कर रहे थे और अग्रसेन पीजी कालेज के बगल खाली मैदान के पास आने का इंतजार कर रहे थे जैसे ही वे दो लोग अपनी बाइक से आये हमारे एक साथी ने पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे बाइक पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भाग गया और बाइक चला रहे व्यक्ति से हम लोगों ने उसके पास मौजूद पैसा, मोबाइल छीन लिया तथा वह पीछा न करे इसलिए उसके बाइक की चाभी लेकर अग्रसेन, लोढ़ान, रिंग रोड होते हुए अपने अपने घर चले गये। लूटे गए पैसों को हम लोगों ने आपस में बाट लिया था, जिसमें से कुछ पैसे खाने-पीने में खर्च हो गये, यही शेष 5000/-बचे थे जिसको आप लोगों द्वारा बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक सतीश कुमार यादव थाना शिवपुर, उ0नि0 विवेक सिंह, प्रशिक्षु उ0नि0 प्रशान्त गुप्ता, प्रशिक्षु उ0नि0 आनन्द प्रकाश, काइम ब्रांच उ0नि0 बृजेश मिश्रा, हे0का0 सन्तोश शाह, हे0का0 प्रमोद सिंह, हे0का0 जितेन्द्र सिंह, हे0का0 ब्रम्हदेव सिंह, का0 अनुग्रह वर्मा, का0 शिवबाबू, का0 आलोक मौर्या, का0 आशीष सिंह, का0 बालमुकुन्द मौर्या, का0 शक्तिधर पाण्डेय, का0 नीरज मौर्या, का0 विरेन्द्र यादव, का0 मृत्युंजय सिंह, का0 अनूप कुशवाहा, का0 सिकंदर, मु0आ0 चालक उमेश सिंह थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

